

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0- 94 / 2022-23

—:आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित । आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाघमारा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी । अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक- 297, दिनांक- 21.03.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है । जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक सरयु महतो, पिता- स्व0 रूतन महतो, साकिम- बागदाहा, पो0- बागदाहा, थाना- राजगंज, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- बागदाहा, मौजा नं0- 217, गत् खाता सं0- 71, गत प्लॉट सं0- 2181, नया खाता सं0- 313, नया प्लॉट सं0- 3218, रकबा- 14 डिसमील भूमि क्रेता दुर्गा प्रसाद महतो, पिता- स्व0 हाड़ी राम महतो, साकिम- बागदाहा, पो0- बागदाहा, थाना- राजगंज, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं । अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी हैं तथा दोनों एक ही थाना- राजगंज, जिला- धनबाद के निवासी हैं । जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 3 एकड़ 56 डिसमील शेष भूमि बचती है । अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है ।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।